फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान छीतरमल बनाम सोहनलाल

मुकदमा संख्या– प्रार्थना पत्र ...205.../2022 दावा

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में उल्लेख किया कि वादी द्वारा स्वयं के वाद पत्र में मद सं0 3 में यह अंकित किया गया है कि उनके द्वारा तहसीलदार जयपुर महोदय के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त कम में तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 21.06.2023 को सीमाज्ञान करवा कर मौका चिन्हिकरण रिपोर्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें दोनों पक्षकारान (वादीगण व प्रतिवादीगण) की मौके पर उपस्थिति दर्ज है। अतः दोनों पक्षकारान द्वारा अपने–अपने खसरा नम्बरान व कब्जेकाश्त भूमियों का सीमाज्ञान ETS मशीन से मौके पर उपस्थित होकर लिया जा चुका है।

उक्त प्रकरण में न्यायालय यह पाता है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष " जब तक भूमि का सीमाज्ञान ना हो तब तक किसी प्रकार की मदाखलत पैदा ना करने, जबरिया रूप से कब्जा ना करने, भूमि कि किस्म परिवर्तन ना करने एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने " को दोनों पक्षकारान की सहमति व उपस्थिति में ETS मशीन से सीमाज्ञान करवाकर दिये जाने के पश्चात् कोई ओर अनुतोष शेष नहीं रह जाता है। फिर भी यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का सीमा विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों ही पक्षकार सक्षम न्यायालय/कार्यालय में सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र लगाने के लिये स्वतंत्र है। अतः यह न्यायालय उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाता है।

पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम